

an>

Title: Need to give payment to the sugarcane growing farmers

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने मुझे देश के किसानों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया है।

हमारे देश के किसानों की नगदी फसल गन्ना है। देश के अधिकांश राज्यों में गन्ने की खेती से किसान अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। वह अपने बेटे के स्कूल की फीस देता है, बेटी का विवाह करता है और अपने बुजुर्ग पिता का इलाज करवाता है। आज उत्तर प्रदेश में हमारे गन्ना किसानों का 1,300 करोड़ रुपया बाकी है। इसमें धौली, वॉल्टरगंज, सिद्धार्थनगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की काफी चीनी मिलें शामिल हैं।

इंडियन शुगरकेन कंट्रोल एक्ट में यह प्रावधान है कि यदि 14 दिनों के भीतर गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उन्हें वह पैसा ब्याज समेत दिया जाएगा। इसके बावजूद आज हमारे किसानों को उनके गन्ने का मूल्य नहीं मिल रहा है।

मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से इसके लिए मांग करना चाहता हूँ। आज प्राइवेट चीनी मिलें कहती हैं कि चीनी का भाव कम हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हो रहा है। आप थोड़े में बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल: अध्यक्ष महोदया, मैं बस एक मिनट और लूँगा।

आज केंद्र सरकार की राष्ट्रीय कृषि नीति के अनुसार अगर चीनी का उत्पादन बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पर यह देश की जनता के लिए राहत की बात है।

माननीय अध्यक्ष : आप थोड़े में बोलना सीखो न।

श्री जगदम्बिका पाल: जिन निजी चीनी मिलों को किसानों को उनके गन्ने का भुगतान करना है, वे नहीं कर रही हैं। अतः मैं यह मांग करता हूँ कि इन किसानों को उनके गन्ने का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र एवं डॉ. कुलमणि सामल को श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।